



भारतीय प्रतस्पर्द्धा आयोग (CCI)

प्रलिस के लयः

भारतीय प्रतस्पर्द्धा आयोग (CCI), प्रतस्पर्द्धा अधनलयम 2002

मेन्स के लयः

भारतीय प्रतस्पर्द्धा आयोग (CCI) के मुद्दे और उपलब्धयः, वभनन प्रकार के सांवधक नकलय

चर्चा में क्यः?

हाल ही में वतत मंत्री ने भारतीय प्रतस्पर्द्धा आयोग (CCI) के 13वें वार्षक दवलस समारोह में भाग ललय ।

- इस अवसर पर वतत मंत्री ने कोलकाता में क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन कलय और CCI के लयः एक उन्नत वेबसाइट का शुभारंभ भी कलय ।

भारतीय प्रतस्पर्द्धा आयोग (CCI):

परचयः

- भारतीय प्रतस्पर्द्धा आयोग एक सांवधक नकलय है जो [प्रतस्पर्द्धा अधनलयम, 2002](#) के उद्देश्यः को लागू करने के लयः उत्तरदायी है । इसका वधवलत गठन मार्च 2009 में कलय गया था ।
- राघवन समतल कल सफारशलः के आधार पर [एकाधकलर और प्रतबलधातुमक व्यापार व्यवहार अधनलयम \(MRTP Act\)](#), 1969 को नरलसत कर इसे प्रतस्पर्द्धा अधनलयम, 2002 द्वारा प्रतसलथापतल कलय गया है ।

संरचनाः

- प्रतस्पर्द्धा अधनलयम के अनुसार, आयोग में एक अधयकष और छह सदस्य होते हैं जनलहें केंद्र सरकार द्वारा नयुकुत कलय जाता है ।
- आयोग एक [अरुद्ध-न्यायकल नकलय \(Quasi-Judicial Body\)](#) है जो सांवधकल प्राधकलरणः को परामर्श देने के साथ-साथ अन्य मामलः को भी संबोधतल करता है । इसके अधयकष और अन्य सदस्य पूरणकालकल होते हैं ।

सदस्यः कल पातरताः

- इसके अधयकष और सदस्य बनने के लयः ऐसा वयकतल पातर होगा जो सतयनषलठा और प्रतषलठा के साथ-साथ उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका हो या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर नयुकुत होने कल योग्यता रखता हो या जसलके पास अंतरराषटरीय व्यापार, अर्थशास्त्र, कारोबार, वाणजय, वधल, वतत, लेखा कार्य, प्रबंधन, उद्योग, लोक कार्य या प्रतस्पर्द्धा संबंधी वषलः में कम-से-कम पंद्रह वर्ष का वशलष ज्ञान एवं वृत्तकल अनुभव हो और केंद्र सरकार कल राय में आयोग के लयः उपयोगी हो ।

प्रतस्पर्द्धा अधनलयम, 2002:

- प्रतस्पर्द्धा अधनलयम वर्ष 2002 में पारतल कलय गया था और [प्रतस्पर्द्धा \(संशोधन\) अधनलयम, 2007](#) द्वारा इसे संशोधतल कलय गया । यह आधुनकल प्रतस्पर्द्धा वधलनः के दर्शन का अनुसरण करता है ।
 - यह अधनलयम प्रतस्पर्द्धा-वरीधी करारः और उद्यमः द्वारा अपनी प्रधान सथतल के दुरुपयोग का प्रतषलध करता है तथा समुच्चयः [अर्जन, नयलत्रण, 'वलल एवं अधगलरहण' (M&A)] का वनलयमन करता है, क्यःकल इनकल वजह से भारत में प्रतस्पर्द्धा पर व्यापक प्रतकलूल प्रभाव पड़ता है या इसकल संभावना बनी रहतल है ।
 - संशोधन अधनलयम के प्रावधानः के अनुरूप भारतीय प्रतस्पर्द्धा आयोग और [प्रतस्पर्द्धा अपीलल न्यायाधकलरण \(Competition Appellate Tribunal- COMPAT\) कल सथापना कल गई](#) ।
 - वर्ष 2017 में सरकार ने प्रतस्पर्द्धा अपीलल न्यायाधकलरण (COMPAT) को [राषटरीय कंपनी कानून अपीलल न्यायाधकलरण \(National Company Law Appellate Tribunal- NCLAT\)](#) से प्रतसलथापतल कर दलय ।

CCI कल भूमकल और कार्यः

- **प्रतस्पर्द्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले अभ्यासों को समाप्त करना**, प्रतस्पर्द्धा को बढ़ावा देना और उसे जारी रखना, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना तथा भारतीय बाजारों में व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना।
- किसी वधिन के तहत स्थापित किसी सांघिकि प्राधकिरण से प्राप्त संदर्भ के लयि प्रतस्पर्द्धा संबंधी वषियों पर परामर्श देना एवं प्रतस्पर्द्धा की भावना को संपोषति करना, सार्वजनकि जागरूकता पैदा करना एवं प्रतस्पर्द्धा के वषियों पर प्रशकिषण प्रदान करना।
- **उपभोक्ता कल्याण**: उपभोक्ताओं के लाभ और कल्याण के लयि बाजारों को सकषम बनाना।
- अर्थव्यवस्था के तीव्र तथा समावेशी वकिस एवं वृद्धि के लयि देश की आर्थकि गतविधियों हेतु नषिपक्ष और स्वस्थ प्रतस्पर्द्धा सुनिश्चित करना।
- आर्थकि संसाधनों के कुशलतम उपयोग को कार्यान्वति करने के उद्देश्य से प्रतस्पर्द्धा नीतियों को लागू करना।
- प्रतस्पर्द्धा के पक्ष-समर्थन को प्रभावी रूप से आगे बढ़ाना और सभी हतिधारकों के बीच प्रतस्पर्द्धा के लाभों को लेकर सूचना का प्रसार करना ताकि भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रतस्पर्द्धा की संस्कृति का वकिस तथा संपोषण कया जा सके।

CCI की अब तक की उपलब्धियाँ:

- आयोग ने 1,200 से अधिक स्पर्द्धारोधी मामलों का नरिणय कया है, यानी स्पर्द्धारोधी मामलों में केस नपिटान दर 89% है।
- इसने अब तक 900 से अधिक वलिय और अधग्रहण के मामलों की समीक्षा की है, उनमें से अधकिंश को 30 दनों के रकिॉर्ड औसत समय के भीतर मंजूरी दी है।
- आयोग ने संयोजनों/लेन-देनों पर स्वचालति अनुमोदन के लयि 'ग्रीन चैनल' प्रावधान जैसे कई नवाचार भी कयि हैं तथा ऐसे 50 से अधिक लेन-देन को मंजूरी दी है।

चुनौतियाँ:

- **डजिटिलीकरण से उत्पन्न चुनौतियाँ**: चूँकि प्रतस्पर्द्धा अधनियम (2002) के समय हमारे पास एक मज़बूत डजिटिल अर्थव्यवस्था नहीं थी, अतः CCI को नए डजिटिल युग की तकनीकी बारीकियों को समझना चाहयि।
- **नई बाजार परभाषा की आवश्यकता**: भारतीय प्रतस्पर्द्धा आयोग को अब बाजार की अपनी परभाषा को आधुनकि बनाने की आवश्यकता है। चूँकि डजिटिल स्पेस की कोई सीमा नहीं है, अतः प्रासंगकि बाजारों को परभाषति करना वशिव भर के नयामकों के लयि एक कठनि काम रहा है।
- **कार्टेलाइज़ेशन से खतरा**: कार्टेलाइज़ेशन से खतरे की संभावना है। चूँकि महामारी के कारण वस्तुओं की वैश्वकि कमी देखी गई है औसूरवी यूरोप में युद्ध के परणामस्वरूप आपूर्ति शृंखला पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।
 - इनकी जाँच कर यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि कीमतों में वृद्धि और आपूर्ति पक्ष में उत्तार-चढ़ाव के पीछे कोई एकाधिकार/द्वैतवादी प्रवृत्तति नहीं है।

आगे की राह

- **वेब 3.0, आर्टफिशियल इंटेलिजेंस (AI), इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ब्लॉकचेन** और अन्य तकनीकी उन्नयनों के साथ ही डेटा सुरक्षा एवं गोपनीयता, प्लेटफॉर्म तटस्थता, डीप डस्किाउंटगि, कलिर एक्वज़िशन आदि जैसे मुद्दों का उद्भव हुआ है जिसके परणामस्वरूप भारत के लयि एक मज़बूत प्रतस्पर्द्धा कानून-जो प्रौद्योगिकी की वर्तमान दुनिया में कानूनी आवश्यकताओं को पूरा कर सके, अपरहिर्य हो गया है। इस तरह का कानून डजिटिल बाजार के अभकिर्त्ताओं को व्यावहारकि स्तर पर सहभागति में सकषम बनाएगा।
 - CCI को नए डजिटिल युग की तकनीकी बारीकियों के साथ यह समझने की आवश्यकता है कि उपभोक्ताओं के लाभ के लयि इन बाजारों का उचति, प्रभावी और पारदर्शी तरीके से उपयोग कया जा रहा है या नहीं।
- **FAQS** एक स्थायी समर्थन साधन बन सकते हैं जिसका प्रयोग "उपयोग के लयि तैयार आधार (Ready-to-Use Basis)" के रूप में सूचना प्रसारति करने के लयि कया जा सकता है।
 - यह एक सक्रयि और प्रगतशील नयामक के रूप के रूप में CCI की स्थति को मज़बूत करेगा तथा इस तरह के मार्गदर्शन से बाजार सहभागियों को नविरक उपाय प्रदान करने में मदद मलैगी।

स्रोत: पी.आई.बी.